

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 536]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2019-पौष 6, शक 1941

गृह (सी-अनुभाग) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2019

क्र. एफ-35-169-2019-दो-सी-एक्स.- चूकि.- नीचे दी गई अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग प्राकृतिक गैस पाईप लाईन का परिवहन करने के प्रयोजन के लिए किया जाता है और चूंकि उसके संबंध में कोई सूचना या उसके नष्ट होने या उसमें रुकावट या विघ्न पड़ने से शत्रु को लाभ पहुंचेगा. अतएव भारत सरकार गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्र. एस0ओ0 1285, दिनांक 4 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त अधिनियम, 1923 (1923 का 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थान को, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "प्रतिबंधित स्थान" घोषित करता है और यह निर्देश देता है कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की स्थानीय भाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगाई जायेगी :-

अनुसूची

क्रमांक (1)	स्थान (2)	पता (3)	प्रतिबंधित क्षेत्र की चतुर्सीमा (4)
01	मेसर्स रिलायंस गैस पाईप लाईन लिमिटेड, जिला शहडोल (म0प्र0).	मेसर्स रिलायंस गैस पाईप लाईन लिमिटेड, जिला शहडोल (म0प्र0) (गैस पाईप लाईन)	(1) ग्राम पटासी, तहसील सोहागपुर. खसरा नं0 683/1/1 (2) ग्राम टेटकी, तहसील गोहपारू. खसरा नं0 316/2 (3) ग्राम भन्नी, तहसील ब्यौहारी. खसरा नं0 233/2 (4) ग्राम टिहकी, तहसील जयसिंहनगर. खसरा नं0 53/2

(1)	(2)	(3)	(4)
			(5) ग्राम भुरका, तहसील जयसिंहनगर. खसरा नं० 53 एवं 49.
			(6) ग्राम जल्लीटोला, तहसील बुढ़ार. खसरा नं० 110 एवं 114.
02	मेसर्स रिलायंस गैस पाईप लाईन लिमिटेड, जिला रीवा (म०प्र०).	मेसर्स रिलायंस गैस पाईप लाईन लिमिटेड, जिला रीवा (म०प्र०) (गैस पाईप लाईन)	(1) ग्राम खोखरा, तहसील गुढ़ खसरा नं० 130/2 पूर्व में - सर्वे नं० 130/1 कृषि भूमि. पश्चिम में - सर्वे नं० 120 कृषि भूमि. उत्तर में - सर्वे नं० 139 शासकीय मार्ग. दक्षिण में - सर्वे नं० 131 एवं 132 कृषि भूमि. (2) ग्राम भूववार, तहसील मनगवां. खसरा नं० 61/2 एवं 66 पूर्व में - सर्वे नं० 59 एवं 61/1 कृषि भूमि. पश्चिम में - सर्वे नं० 62, 63 एवं 65 कृषि भूमि. उत्तर में - प्रधानमंत्री सड़क योजना का मार्ग. दक्षिण में - सर्वे नं० 67 कृषि भूमि. (3) ग्राम पिपरा, तहसील नईगढ़ी. खसरा नं० 237/1, 237/2, 238/1क/1, 238/1क/2 पूर्व में - सर्वे नं० 247 शासकीय मार्ग. पश्चिम में - सर्वे नं० 238/1/ख आवासीय खुली भूमि. उत्तर में - सर्वे नं० 249 एवं 238/2ख कृषि भूमि. दक्षिण में - 236 एवं 750 शासकीय मार्ग.

No. F-35-169-2019-2-C-X.- WHEREAS, the premises named, detailed and described in the Schedule given below is a place used for Natural Gas Pipeline Transportation- a work for a purpose of a public character; AND, WHEREAS, any information with respect thereto, on the destruction or obstruction thereof or interference therewith, would be useful to an enemy. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-clause (d) of clause (8) of Section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act No. XIX of 1923) read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 1285, dated the 4th May, 1963, the State Government hereby, declares the places specified in the Schedule below to the "Prohibited Places" for the purpose of the said Act and to direct that a copy of this notification in English and in the local language be affixed to the said premises :-

SCHEDULE

S.NO.	PLACE	LOCATION	DESCRIPTION OF THE BOUNDRIES OF THE PROHIBITED PLACE
(1)	(2)	(3)	(4)
01	M/s. Reliance Gas Pipe Line Ltd., Distt. Shahlol (M.P.)	M/s. Reliance Gas Pipe Line Ltd., Distt. Shahlol (MP) (Gas Pipe Line)	<p>(1) Village-Patasi, Teh, Sohagpur. Khasra No. 683/1/1.</p> <p>(2) Village- Tetki, Teh. Gohparu. Khasra No. 316/2.</p> <p>(3) Village- Bhanni, Teh. Biohari. Khasra No. 233/2.</p> <p>(4) Village - Tihaki, Teh. Jaisinghnagar, Khasra No. 53/2.</p> <p>(5) Village - Bhurka. Teh. Jaisinghnagar, Khasra No. 53 and 49.</p> <p>(6) Village-Jallitola, Teh. Budhar. Khasra No. 110 and 114.</p>
02	M/s. Reliance Gas Pipe Line Ltd., Distt.	M/s. Reliance Gas Pipe Line Ltd., Distt. Rewa (M.P.) Rewa (M.P.) (Gas Pipe Line) land.	<p>(1) Village-Khokhara, Teh. Gudh. Khasra No. 130/2. East- Survey no. 130/2, Agriculture land. West- Survey No. 120, Agriculture land. North- Survey No. 139, Government Road. South- Survey No. 131 and 132 Agriculture land.</p> <p>(2) Village-Bhuvwar, Teh. Mangawan. Khasra No. 61/2 and 66. East- Survey No. 61/2 and 66. East- Survey No. 59 and 61/2, Agriculture land. West- Survey No. 62, 63 and 65, Agriculture land. North- Govt. Road of PMSY. South- Survey No. 67, Agriculture land.</p> <p>(3) Village- Pipara, Teh. Naigadhi. Khasra No. 237/1, 237/2, 238/ 1k/1, 238/1k/2. East- Survey No. 247, Government road. West- Survey No. 238/1/kh., Residential Open land. North- Survey No. 249 and 238/2kh, Agriculture land. South- Survey No. 236 and 750, Government road.</p>

क्र. एफ-35-175-2019-दो-सी-एक्स.- भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एस०ओ० 1285, दिनांक 4 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त अधिनियम, 1923 (1923 का 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थान को, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रतिबंधित स्थान घोषित करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

क्रमांक (1)	स्थान (2)	पता (3)	प्रतिबंधित क्षेत्र की चतुर्सीमा (4)
01	132 के०व्ही० उपकेन्द्र ग्राम करवाखेड़ी (ताल) जिला रतलाम (म०प्र०).	132 के०व्ही० उपकेन्द्र, ग्राम करवाखेड़ी (ताल), जिला रतलाम (म०प्र०).	सर्वे नंबर 851/1 - पूर्व में - शासकीय तलाई. पश्चिम में - शासकीय तलाई. उत्तर में - निर्माणाधीन टू-लेन रोड. दक्षिण में - आम रास्ता.

No. F-35-175-2019-C-X.- In exercise of the powers conferred by sub-clause (d) of clause (8) of Section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (XIX of 1923) read with Government of India, Ministry of Home Affairs's Notification No. S.O. 1285, dated the 4th May, 1963, the State Government hereby, declares the place specified in the Schedule below to be prohibited places for the purposes of the said Act :-

SCHEDULE

S.NO. (1)	PLACE (2)	LOCATION (3)	DESCRIPTION OF THE BOUNDRIES OF THE PROHIBITED PLACE (4)
01	132 KV sub- station, Village Karwakhedi (Taal) Distt. Ratlam (M.P.)	132 KV sub-station Village-Karwakhedi (Taal) Distt. Ratlam (M.P.)	Survey No. 851/1- East- Govt. Talai. West- Govt. Talai. North- Developing two-lane road. South- Aam Rasta.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद शाहिद अबसार, सचिव.